फर्द अहकाम

(नियम–26)

न्यायालय–अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नोहर जिला हनुमानगढ़

बसंत कुमार बनाम रामनिवास आदि

एफ.आर. संख्या :– 98/2026

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
07.08.2026	परिवादी बसंत कुमार ने उप मुख्यमंत्री के आधिकारिक कार्यक्रम में वीआईपी व्यवस्था में संलग्न होने से आज न्यायालय में उपस्थित होने में असमर्थता प्रकट की और साक्ष्य हेतु अवसर दिये जाने की प्रार्थना की, किन्तु पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि गत पांच पेशियों से पत्रावली साक्ष्य परिवादी में है और हर बार परिवादी साक्ष्य हेतु अवसर चाहता है। इसलिये परिवादी के इंतजार में अनन्तकाल तक प्रकरण लम्बित रखने का कोई औचित्य नहीं है। परिवादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश स्वामी उपस्थित हैं, जिनकी प्रसंज्ञान के बिन्दु पर बहस सुनी गई। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस अपने परिवाद व नाराजगी याचिका के तथ्यों का दोहराव करते हुए तर्क दिया कि आरोपी रामनिवास को संविदा पर नगरपालिका नोहर में मैनेजर विधि के पद पर लगाया था और माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में लम्बित प्रकरण पवन कुमार बनाम राजस्थान आदि में कस्बा नोहर के सेक्टर नं. 05 के भूखण्डों का विवाद था, जिसमें तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करने हेतु उक्त सेक्टर 5 से संबंधित दस्तावेज नगरपालिका ने आरोपी रामनिवास उपलब्ध करवाये थे, लेकिन रामनिवास ने अपने पद का दुरूपयोग कर सेक्टर 05 में स्थित भूखण्ड संख्या 326 के संबंध में फर्जी इन्द्राज अपने दादा रावताराम के नाम से नगरपालिका नोहर के रजिस्टर में करते हुये झूठे दस्तावेज तैयार करवा लिये और उन पर नगरपालिका नोहर की प्रमाणित प्रति की सील लगाकर परिवादी को भुलावे में रखकर परिवादी के हस्ताक्षर प्रमाणित प्रतियों पर करवा लिये और उसके बाद अपने पिता सुभाष के साथ आपराधिक षड़यंत्र रचते हुये भूखण्ड संख्या 326 पर अपना झूठा स्वामित्व प्राप्त करने के आशय से उक्त भूखण्ड रावताराम द्वारा अपने पिता सुभाष को वसीयत किया जाना बताते हुये नामांतरण हेतु आवेदन नगरपालिका कार्यालय में किया, किन्तु आरोपी के दादा रावताराम के नाम से उक्त भूखण्ड आवंटित होने का कोई असल	

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नोहर, जिला- हनुमानगढ़

संख्या 326 पुनः कन्हैयालाल पुत्र चौथमल को आवंटित कर दिया, लेकिन कन्हैयालाल ने किस्तें नहीं भरी तो नगरपालिका ने आवंटन निरस्त कर दिया। अब नगरपालिका का कहना है कि भूखण्ड नगरपालिका का है और आरोपी सुभाषचन्द्र का कहना है कि ये उसका भूखण्ड है और इस संबंध में आरोपी सुभाषचन्द्र ने श्रीमान एडीजे कोर्ट संख्या 01 नोहर में सिविल दावा संख्या 46/2025 भी पेश कर रखा है, जो विचाराधीन होने से मामला दीवानी प्रकृति का पाया गया है।

इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में पक्षकारों के मध्य विवाद कस्बा नोहर के सेक्टर नं. 05 में स्थित विवादित भूखण्ड संख्या 326 के स्वामित्व को लेकर है, जिसके संबंध में नगरपालिका का कहना है कि उक्त भूखण्ड उसके स्वामित्व का है और आरोपी रामनिवास उनके कार्यालय में विधि मैनेजर के रूप में संविदा पर कार्य करता था, जिस दौरान उसने नगरपालिका के रजिस्टर में यह भूखण्ड अपने दादा रावताराम को आवंटित होने का फर्जी इंद्राज करते हुये कूटरचित दस्तावेज तैयार कर लिये और उन पर प्रमाणित प्रति की सील लगाकर बसंत कुमार, अधिशाषी अधिकारी को भुलावे में रखकर उनके हस्ताक्षर करवा लिये और अब उक्त फर्जी व कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर अपने स्वामित्व का दावा आरोपीगण कर रहे हैं, जबकि वास्तव में रावताराम के नाम उक्त भूखण्ड कभी आवंटित नहीं हुआ है, वहीं इसके विपरीत आरोपी रामनिवास व सुभाषचन्द्र का कहना है कि उक्त भूखण्ड वर्ष 1962 में रावताराम को आवंटित होकर कब्जा प्राप्त हुआ था और बाद में जरिये वसीयत आरोपी सुभाषचन्द्र को प्राप्त हुआ था और सुभाषचन्द्र ने इसके नामांतरण की कार्यवाही हेतु नगरपालिका नोहर में आवेदन किया तो नगरपालिका के अधिशाषी अधिकारी बसंत कुमार द्वारा उससे आधे भूखण्ड की अवैध रूप से मांग की गई और उसने देने से मना कर दिया तो उक्त बसंत कुमार, नगरपालिका अध्यक्ष व जाट कन्या छात्रावास कमेटी नोहर के पदाधिकारियों ने सांठ–गांठ कर विवादित भूखण्ड जाट कन्या छात्रावास को देने का प्रस्ताव पारित कर दिया।

उभय पक्षों के उक्त तर्कों व पक्ष कथनों के अनुक्रम में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सामग्री का अवलोकन करें तो प्रकट होता है कि हस्तगत प्रकरण के तथ्यों पर आधारित ही एक सिविल वाद आरोपी सुभाषचन्द्र द्वारा दिनांक 13.08.2025 को न्यायालय,

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नोहर, जिला हनुमानगढ़

श्रीमान अपर जिला न्यायाधीश संख्या 01 नोहर के समक्ष पेश किया गया है, जो उक्त न्यायालय में विचाराधीन है और उक्त वाद से संबंधित अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रकरण संख्या 46/2025 के आदेश दिनांक 22.08.2025 के माध्यम से माननीय न्यायालय द्वारा पक्षकारों को विवादित भूखण्ड संया 326 की मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद भी किया गया है। ऐसे में जहां हस्तगत प्रकरण का विवाद सम्पति के स्वामित्व को लेकर है और इन्हीं तथ्यों के आधार पर सिविल वाद भी सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है, वहां पुलिस द्वारा प्रस्तुत निष्कर्ष से यह न्यायालय सहमति रखता है।

यहां यह उल्लेख करना भी महत्वपूर्ण रहेगा कि साक्ष्य परिवादी में पर्याप्त अवसर लेने के बावजूद परिवादी स्वयं ही साक्ष्य हेतु उपस्थित नहीं आया है तथा आरोपीगण अपने पूर्वज रावताराम द्वारा जिन चालान संख्या 142 दिनांक 24.07.1962 व चालान संख्या 28 दिनांक 11.09.1964 के माध्यम से विवादित भूखण्ड की निलामी राशि जमा राजकोष करवाना बताते हैं, उनकी प्रमाणिकता के संबंध में नगरपालिका की ओर से जिला कोष कार्यालय को लिखे गये पत्र दिनांक 28.08.2026 की प्रति भी पत्रावली पर मौजूद है, किन्तु उक्त पत्र का कोष कार्यालय से प्राप्त जवाब परिवादी की ओर से पेश नहीं किया गया है। ऐसे में परिवादी ने कूटरचना व छल संबंधी जो आरोप प्रकरण में आरोपीगण पर लगाये हैं, उनके संबंध में ऐसी कोई भी संपुष्टिकारक साक्ष्य पेश नहीं की गई है, जिससे उक्त आरोपों में कोई बल प्रकट होता हो।

ऐसी दशा में उपरोक्त विवेचनानुसार हस्तगत प्रकरण में किसी अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर अग्रिम कार्यवाही किया जाना यह न्यायालय न्यायोचित नहीं पाता है।

फलतः परिवादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत नाराजगी याचिका अस्वीकार कर खारिज की जाती है एवं पुलिस थाना नोहर द्वारा प्रस्तुत नकारात्मक अंतिम प्रतिवेदन अदम वकू सिविल नेचर में स्वीकार किए जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

केस डायरी अभियोजन अधिकारी को लौटाई जावे। पत्रावली में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है। अतः पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नोहर, जिला- हनुमानगढ़

दस्तावेज नगरपालिका कार्यालय में नहीं है, बल्कि जो रिकॉर्ड विवादित भूखण्ड के संबंध में भाखडा मण्डी हनुमानगढ़ से नगरपालिका को प्राप्त हुआ है, उसमें उक्त भूखण्ड पूर्व में किसी कन्हैयालाल पुत्र चौथमल को आवंटित होना व उसके द्वारा राशि जमा नहीं करवाने पर आवंटन निरस्त किया जाना प्रकट है, जिससे स्पष्ट है कि आरोपी ने नगरपालिका में विधि मैनेजर के पद पर कार्यरत रहते हुये अपने पद का दुरूपयोग कर कूटरचित दस्तावेज अपने दादा के नाम से भूखण्ड संख्या 326 के संबंध में तैयार कर उन्हें असल के रूप में उपयोग में लेकर नगरपालिका के साथ छल किया है, बावजूद इसके पुलिस ने आरोपी पक्ष के प्रभाव में आकर गलत अनुसंधान कर अंतिम प्रतिवेदन पेश किया है। आरोपी ने जिन रसीदों के जरिये भूखण्ड निलामी की राशि जमा करवाना बताया है, उसके संबंध में कोई रिकॉर्ड अनुसंधान अधिकारी ने तत्कालीन कोष कार्यालय से प्राप्त नहीं किया है। आरोपी द्वारा तैयार कूटरचित दस्तावेजों की कोई एफएसएल जांच भी नहीं करवाई है। भाखड़ा मण्डी समिति हनुमानगढ़ द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड के अनुसार विवादित भूखण्ड कन्हैयालाल को आवंटित हुआ था, जिसके संबंध में कोई अनुसंधान नहीं किया गया है। अंत में आरोपीगण के विरूद्ध संबंधित धाराओं में अपराध का प्रसंज्ञान लिये जाने की प्रार्थना की।

पुलिस द्वारा इस प्रकरण में नकारात्मक अंतिम प्रतिवेदन अदम सिविल नेचर में इस आधार पर पेश किया गया है कि विवादित भूखण्ड व सेक्टर 5 कस्बा नोहर की भूमि पूर्व में अतिरिक्त कलेक्टर व सचिव मण्डी समिति हनुमानगढ़ के अधीन थी, जिनके द्वारा इस भूमि में से काफी आवासीय प्लॉट विक्रय किये गये, जिसमें प्लॉट नं. 326 दिनांक 24.07.1962 को आरोपी सुभाषचन्द्र के पिता रावताराम पुत्र रूपाराम तरड़ को आवंटित किया, जिसकी किस्त जरिये चालान रावताराम ने जमा करवा दी और भूखण्ड का कब्जा रावताराम को दे दिया और रावताराम ने इस भूखण्ड की वसीयत आरोपी सुभाषचन्द्र के पक्ष में कर दी और वर्तमान में इस भूखण्ड पर सुभाषचन्द्र का ही कब्जा था और सुभाषचन्द्र के लड़के रामनिवास, जो नगरपालिका नोहर में विधिक सलाहकार था, ने उक्त प्लॉट का नामांतरण करवाने के लिये दिनांक 15.05.2025 को नगरपालिका नोहर में आवेदन किया, किन्तु मण्डी समिति हनुमानगढ़ से यह भूमि नगरपालिका नोहर को प्राप्त होने पर नगरपालिका ने यह भूखण्ड

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नोहर, जिला- हनुमानगढ़